न्यायालय ज़िला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

निगरानी सं0 02/2008

1. रामजीलाल
2. रामस्वरूप

पि. सोहनलाल जाति रैगर निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकार

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पदम सिंह पुत्र राधेश्याम
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र राधेश्याम
3. चन्द्र सिंह पुत्र राधेश्याम
समस्त जाति पूर्व्या निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
4. ग्राम पंचायत लवाण जिला दौसा जरिये सचिव ग्राम पंचायत लवाण

...गैर निरानीकारान

निगरानी अंतर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लवाण दिनांक 5.8.2004 एवं पट्टा (आबादी भूमि का विक्रय विलेख) ता. 13.9.2004

उपस्थित: 1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता निगरानीकार

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, लवाण द्वारा अप्रार्थी सं0 एक से तीन के पक्ष में पट्टा दिनांक 13.9.2004 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लवाण से मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दीं कि राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 अनुसार ग्राम पंचायत को अपने आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का निर्णय कर पट्टा जारी कर सकती है। जबकि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का पटटा नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पास या सटी हुई कोई सरकारी भूमि है तो ऐसी भूमि को आबादी के विस्तार हेतु सरकार ऐसी भूमि को आबादी में कन्वर्ट कर ग्राम पंचायत को दे सकती है। ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि मिलने पर ग्राम पंचायत विधिवत प्लान भूमि को विधिवत रूप से नीलाम कर बेच सकती है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में भूमि कृषि भूमि थी, कृषि भूमि का वर्गीकरण आबादी था। अतः ज[illegible]0मु0 आबादी अंकित है। इस भूमि को राज्य सकरार ने आबादी में कन्वर्ट [illegible] पंचायत को नहीं दिया ना ही ग्राम पंचायत ने कोई प्लान बनाया [illegible] का अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने ग्राम [illegible] लेने हेतु प्रार्थना [illegible]या है उस प्रार्थना पत्र के शीर्षक में ही अंकित किया है वि[illegible] विषयः–खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.04 का पट्टा दिये जाने के कम में।" अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने पट्टे हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के मध्य में भी खसरा नंबर 1587 अंकित किया है। ग्राम पंचायत ने या अप्रार्थी नं. 1 से 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:43 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

ने इस प्रार्थना पत्र में कोई तारीख भी अंकित नहीं की है। खसरा नंबर 1587 की जमाबंदी के अनुसार कहीं भी ग्राम पंचायत को स्वामी या खातेदार अंकित नहीं किया है। कृषि भूतिम में भी आबादी बस जाती है तो भी यह आबादी भूमि कृषि भूमि का ही भाग रहती है। मात्र भूमि का वर्गीकरण गै0मु0 आबादी अंकित कर दिया जाता है। परन्तु ऐसी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत जारी नहीं कर सकती है। इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत ने इसी प्रकार की भूमि का पट्टा दे दिया जिसको देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। अतः पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीन स्वयं की आबादी भूमि को ही नीलामी के द्वारा बेचा जाना चाहिए और सबसे अधिक बोली लगाने वाले से विक्रय मूल्य लेकर पट्टा जारी करना चाहिए जिससे ग्राम पंचायत को अधिक पैसा मिलता। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत से उसकी किसी आबादी के भूखंड का पट्टा नीलामी द्वारा नहीं बल्कि पुराने कब्जे के आधार पर लेना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को पुराने कब्जे का कोई विश्वसनीय दस्तावेज पेश कर पुराना कब्जा सिद्ध करना चाहिए। पुराने कब्जे का ठोस व विश्वसनीय प्रमाण आने पर ही ग्राम पंचायत पूर्ण जांच कर पट्टा दिया जाने संबंधी आदेश प्रदान कर सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने ग्राम पंचायत में जो पट्टा लेने का प्रार्थना पत्र पेश कियास है उसमें पुराने कब्जे बाबत एक शब्द भी नहीं लिखा है ना ही पुराने कंब्जे का सबूत दिया गया है। उसके बावजूद ग्राम पंचायत ने बिना नीलाम किये ही कृषि भूमि का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर हजारों रूपये की कीमती भूमि का पट्टा कोडियों के भाव अप्रार्थी सं0 1 से 3 को दे दिया जो निरस्तनीय है। जिस भूमि खसरा नंर 1587 का पट्टर दिया गया है. उसके सटी हुई सार्वजनिक तलाई है तथा बरसात के दिनों में तलाई का पानी आने पर यह भूमि तलाई के पानी में डूब जाती है तथा तलाई में पानी इसी खसरा नंबर 1587 में होकर जाता है। अगर यहॉ कोई निर्माण हो जाता है तो तलाई में पानी जाना ही बंद हो जावेगा। अतः पानी के भराव या पानी के जाने के रास्ते का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। पट्टा व पट्टा देने का प्रस्ताव सरासर नियमों के विरूद्ध दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आबादी भूमि का पट्टा देने के नियम बने हुए है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 168 तक प्रचलित नियमों के तहत ही दिया जा सकता है। जबकि ग्राम पंचायत लवाण ने सरासर नियमों की अवहेलना कर अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लवाण द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 5.8.2004 व पट्टा दिनांक 13.9.2004 निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता निगरानीकार ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 1986 आर.एल.आर.184 की प्रति प्रस्तुत की गई।

3. निगरानीकार सं0 1 से 4 को रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किये जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. हमने अधिवक्ता निगरानीकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. शासन सचिव, पंचायत राज विभाग, राज. जयपुर की अधिसूचना कमांकःएफ.4(10) परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.[illegible] [illegible]लोकनीय है जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 [illegible] [illegible] जिला कलक्टर्स को प्रदान की गई है।

97. राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्तिः—

"(1) राज्य सरकार स्व प्रेरणा से या किसी हित[illegible] व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:43 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगवा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में राज्य सकरार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल क़िया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।"

6. हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत लवाण ने अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम ग्राम पूर्बियावास स्थित भूमि का पट्टा कुल 400 वर्गगज का जारी किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने ग्राम पंचायत लवाण में स्थित भूमि खसरा नंबर 1587 का पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत लवाण ने अप्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टा 11/– रू0 प्रति वर्गगज की दर से जारी किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लवाण के मूल अभिलेख में शामिल जमाबंदी संवत 2057 से 2060 ग्राम पूर्बियावास का अवलोकन किया गया जिसमें भूमि की किस्म गै.मु. बाडा है जो भूमि सरकारी खाते में दर्ज है न कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में। ग्राम पंचायत द्वारा उन्हीं भूमि में पटटा जारी किया जा सकता है जिसे भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किया गया हो। ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि पर पटटे जारी करने के अधिकार प्रदान नहीं है। यदि किसी ग्राम पंचायत को अपीन अपीन आबादी अनुसार भूमि की आवश्यकता प्रतीत होती है तो विधिक प्रक्रिया अपना कर सर्वप्रथम आबादी विस्तार करवाया जावेगा एवं इसके उपरांत पटटा जारी किये जा सकेंगे। अतः ग्राम पंचायत लवाण ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आबादी भूमि में पट्टा जारी नहीं करके राजकीय भूमि में पट्टा जारी किया गया है जिसे हम निरस्त किये जाने योग्य समझते है। साथ हीं यह भी अवलोकनीय है कि वर्तमान में लवाण ग्राम पंचायत से नगरपालिका में परिवर्तित हो चुकी है। नगरपालिका लवाण द्वारा आवश्यकतानुसार आबादी विस्तार के उपरांत नगरपालिका अधिनियम के तहत पटटे जारी किये जा सकेंगे।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत लवाण द्वारा जारी पट्टा मिसल नं0 35 दायर दिनांक 30.7.2002 जारी दिनांक 13.9.2004 जो कि अप्रार्थी सं0 1 से 3 के नाम जारी किया गया है को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लवाण/नगरपालिका लवाण का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 14 अगस्त, 2024 को लिखवाया ज़ाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.09.23 14:10:43 IST
Reason: SelfAttested